

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 690
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक-27-06-18

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री फूल पिठ कक्कावाल

जति डील उब्र पगल नि० हडमतिग तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदायत प्रा.म.अ. दिनांक 27-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा हडमतिग पंचायत समिति देवडा में स्थित खाता संख्या 46 पर आराजी नं० 50 कुल 13 बीघा 13 बिस्वा कित्ता 1 योग रकबा 13 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि कारत करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी देवडा पिठ सवजी नि० हडमतिग ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम हडमतिग के खसरा नं० 51 रकबा 12 बिस्वा बिस्वा कुल कित्ता 1 योग रकबा 12 बिस्वा की जमाबंदी संख्या 2472-75 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा हडमतिग में स्थित खाता संख्या 46 पर आराजी नं० 50 रकबा 13 बिस्वा कुल कित्ता 1 कुल रकबा 13 बिस्वा की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा हडमतिग में स्थित खाता संख्या 46 पर आराजी नं० 50 रकबा 13 बिस्वा कुल कित्ता 1 कुल रकबा 13 बिस्वा विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक गुणाली के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० 4.00/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फौसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर